

राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध तृतीय जमानत आवेदन संख्या 13299/2024

धर्मेन्द्र सिंह पुत्र जसवंत सिंह राजपूत, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ढाकरी तहसील
मल्हारगढ़ पी.एस. पिपलिया मंडी, जिला मंदसौर (म.प्र.)

(वर्तमान में जिला जेल चित्तौड़गढ़ में बंद)

----याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ, सीबीएन के माध्यम से

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री आनंद पुरोहित, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री कैलाश खिलेरी द्वारा सहायता प्राप्त
प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री के.एस. नाहर, विशेष पी.पी.
श्री गोपाल सिंह के साथ

माननीय श्रीमान. जस्टिस फरजंद अली

आदेशरिपोर्टेबल**21/10/2024**

1. अभियुक्त-याचिकाकर्ता के कहने पर धारा 439 सीआरपीसी के तहत आवेदन दायर करके इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया गया है। मामले का अपेक्षित विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

क्र.सं.	मामले का विवरण	
1.	एफआईआर संख्या	1/2024
2.	संबंधित पुलिस स्टेशन	सीबीएन चित्तौड़गढ़
3.	जिला	चित्तौड़गढ़
4.	एफआईआर में आरोपित अपराध	धारा 8/15 (सी) एनडीपीएस एक्ट।

2. याचिकाकर्ताओं की पहली और दूसरी जमानत याचिकाएं एस.बी.सी.आर.एल.एम.बी. संख्या 3317/2024 और एस.बी.सी.आर.एल.एम.बी. संख्या 8806/2024 को इस न्यायालय द्वारा क्रमशः दिनांक 24.04.2024 और 18.07.2024 के आदेशों के अनुसार खारिज कर दिया गया है। पहले की जमानत याचिका पर निर्णय करते समय, आरोप-पत्र दाखिल करने के बाद प्रार्थना को नवीनीकृत करने की स्वतंत्रता दी गई थी। अब आरोप-पत्र दाखिल किया गया है, इसलिए तत्काल जमानत आवेदन।
3. आरोपी-याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उसके खिलाफ कथित अपराधों के लिए कोई मामला नहीं बनता है और उसे कारावास की सजा नहीं दी जानी चाहिए। मामले में ऐसे कोई कारक नहीं हैं जो आरोपी याचिकाकर्ता को जमानत देने के खिलाफ काम कर सकें और उसे अनुमानों और अनुमानों के आधार पर आरोपी बनाया गया है।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के तर्कों के विपरीत, विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामला अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के लिए उपयुक्त नहीं है।
5. मैंने पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।
6. वर्तमान मामला एक ऐसा मामला है जिसमें केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान राज्य के अधिकारियों ने मध्य प्रदेश राज्य के जिला मंदसोर के तहसील मल्हारगढ़, गांव धाकड़ी में किए गए अपराध की तलाशी और जब्ती की।

7. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 06.01.2024 को एक गुप्त सूचना मिलने पर, सीबीएन कार्यालय, चित्तौड़गढ़ से एक संयुक्त निवारक दल याचिकाकर्ता के स्थान पर गया और उसके घर की तलाशी ली, जहां लगभग 11 क्विंटल पोस्ट की भूसी बरामद हुई और सामान्य जांच के अनुसार जब्त की गई, जैसा कि अधिकारियों द्वारा दावा किया गया है। याचिकाकर्ता को व्यावसायिक मात्रा में पोस्ट की भूसी रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

8. बचाव पक्ष द्वारा बताए गए मामले का सबसे बड़ा दोष यह है कि अपराध मध्य प्रदेश राज्य के मंदसोर में किया गया था, लेकिन जब्ती की रिपोर्ट राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में की गई और चित्तौड़गढ़ के एनडीपीएस अधिनियम मामलों के विशेष न्यायाधीश की अदालत में आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, जिसे मामले की सुनवाई या जांच करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि यह उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

9. एक और दलील यह भी उठाई गई है कि रिकवरी मेमो के अनुसार, हालांकि प्रतिबंधित पदार्थ याचिकाकर्ता के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित घर से लिया गया था, लेकिन इसे राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले के सीबीएन कार्यालय में ले जाया गया, जहां जब्ती की पूरी प्रक्रिया प्रभावित हुई और जो कानून में स्वीकार्य नहीं है।

10. इस मामले के मद्देनजर, इस न्यायालय ने पाया है कि चित्तौड़गढ़ जिले की सीबीएन की टीम याचिकाकर्ता के घर पर तलाशी लेने गई थी, जो चित्तौड़गढ़ से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर है और मध्य प्रदेश राज्य के मंदसोर जिले के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आता है। बेशक, प्रतिवादी एक केंद्रीय एजेंसी है और उसे अपने अधिकृत क्षेत्रों में किसी भी स्थान पर तलाशी और जब्ती करने का अधिकार है, लेकिन साथ ही, इस कानूनी दलील को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि कथित अपराध मध्य प्रदेश राज्य में कहीं किया गया था और आमतौर पर, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 177 के अनुसार जांच और परीक्षण का स्थान वह स्थान

होगा जहां अपराध किया गया था और तलाशी की गई थी। यह एक स्वीकृत तथ्य स्थिति है कि बरामदगी का स्थान मध्य प्रदेश राज्य के मंदसोर जिले में स्थित है और ऐसे मामले के परीक्षण का सामान्य स्थान मध्य प्रदेश राज्य के मंदसोर जिले में कार्यरत विशेष न्यायाधीश होगा।

11. तत्काल संदर्भ के लिए, सीआरपीसी की धारा 177। यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“177. जांच और परीक्षण का सामान्य स्थान।

प्रत्येक अपराध की जांच और परीक्षण सामान्यतः उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में वह अपराध किया गया हो।

11.1. उपरोक्त का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी अपराध के संबंध में जांच या सुनवाई केवल उसी न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में अपराध किया गया हो। निस्संदेह, प्रतिबंधित पदार्थ रखने का अपराध मध्य प्रदेश राज्य में कहीं किया गया था और विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस अधिनियम मामले, चित्तौड़गढ़ को अभियुक्त पर मुकदमा चलाने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा।

धारा 178 सीआरपीसी किसी अपराध के लिए जांच या सुनवाई के स्थान से संबंधित है, जब यह स्पष्ट नहीं है कि अपराध कहां किया गया था या जहां अपराध कई स्थानों पर किया गया है या जहां अपराध निरंतर चल रहा है और लगातार कई स्थानों पर किया जाना है और अंत में यह प्रावधान तब लागू होगा जब अपराध में विभिन्न स्थानों पर कई कार्य किए गए हों। ऊपर वर्णित प्रकृति के मामलों में, स्थानीय क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार वाले आपराधिक न्यायालय के पास अपराध की जांच या सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार होगा जहां अपराध का कोई भी हिस्सा किया गया है।

इस मामले में यह बात एकदम स्पष्ट है कि चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के स्थानीय क्षेत्राधिकार में कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया गया, जिसके लिए विशेष न्यायाधीश की अदालत गठित की गई थी। प्रतिवादी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत शिकायत के अवलोकन से यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि सीबीएन के अधिकारियों को अपने सूत्रों से केवल यह सूचना मिली कि मंदसौर जिले में एक व्यक्ति के घर में प्रतिबंधित पदार्थ है। किसी भी अधिकारी द्वारा किसी अन्य क्षेत्र में किए गए अपराध के बारे में किसी भी तकनीक के माध्यम से सूचना प्राप्त करने मात्र से उस स्थान पर न्यायालय को मामले की सुनवाई करने का अधिकार स्वतः प्राप्त नहीं हो जाता। उदाहरण के लिए, एनसीबी, सीबीएन, डीआरआई, ईडी, सीबीआई, एनआईए के अधिकारी अपने दिल्ली कार्यालय में मुंबई, अहमदाबाद, कलकत्ता, जोधपुर आदि में किसी भी आरोपी द्वारा अपराध किए जाने के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं और वे उस सूचना पर कार्रवाई कर सकते हैं और उसके अनुसरण में अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है और प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया जा सकता है, हालांकि, ऐसा करने का अर्थ यह नहीं होगा कि दिल्ली न्यायालय ने सूचना प्राप्त करने के मात्र कारण से मुंबई और कलकत्ता आदि में किए गए मामलों की सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है।

सीआरपीसी की धारा 178 से धारा 184 तक धारा 177 सीआरपीसी के तहत निहित सामान्य नियम के अपवाद हैं, हालांकि, अपवाद प्रावधान भी पहली जगह पर किए गए अपराध के हिस्से की मांग करते हैं। पहली जगह पर किए गए कार्य का अन्य स्थान पर संबंध या परिणाम/परिणाम होना चाहिए। यह कहना पर्याप्त होगा कि कानून चित्तौड़गढ़ के विशेष न्यायाधीश को याचिकाकर्ता के मामले की जांच या सुनवाई करने का अधिकार नहीं देता है, जिसका अपराध अलग अधिकार क्षेत्र वाले स्थान पर किया गया था क्योंकि यहां अपराध का कोई हिस्सा नहीं किया गया था।

अधिकार क्षेत्र न्यायालय के आगे बढ़ने और कार्रवाई करने के अधिकार पर हमला करता है और साथ ही वैधानिक बल के खिलाफ पारित कोई भी आदेश अमान्य होगा।

11.2. इस न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **दशरथ रूपसिंह राठौड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य** मामले में पारित आदेश पर आधारित है, जिसे **एआईआर 2014 (4) एससी 3519** में रिपोर्ट किया गया है और **वाई. अब्राहम अजीत एवं अन्य बनाम पुलिस निरीक्षक, चेन्नई एवं अन्य**, जिसे **एआईआर 2004 एससी 4286** में रिपोर्ट किया गया है।

12. मामले का एक और चौंकाने वाला पहलू यह है कि कथित पोस्ट की भूसी याचिकाकर्ता के घर में मिली थी जो मध्य प्रदेश राज्य के मल्हारगढ़ जिले के धाकड़ी गांव में स्थित है, हालांकि, जहां से इसे बरामद किया गया था, वहां कोई जब्ती ज्ञापन तैयार नहीं किया गया था; बल्कि, तस्करी की गई सामग्री को राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले के सीबीएन कार्यालय में ले जाकर अजीब प्रक्रिया अपनाई गई थी, जो बरामदगी के स्थान से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर है।

13. इस न्यायालय का दृढ़ मत है कि जब तक विशेष परिस्थितियां उपलब्ध न हों, तब तक चीजों को उसी स्थान पर जब्त किया जाना चाहिए जहां से उन्हें बरामद किया गया है क्योंकि किसी स्थान से तस्करी की गई वस्तु को ले जाना और फिर अधिकारी के उपयुक्त स्थान पर जब्ती की प्रक्रिया को प्रभावित करना बरामदगी को संदिग्ध बनाता है और इस प्रकार यह अपनी पवित्रता और पवित्र चरित्र खो देता है।

14. उपर्युक्त पहलू पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने एसबीसीआरएलएमबी संख्या 5457/2024 (मेजर सिंह बनाम राजस्थान राज्य) में दिनांक 08.05.2024 को एक आदेश पारित किया है, जिसमें निम्नानुसार अवलोकन किया गया है:

“13. उपरोक्त गवाहों द्वारा किए गए स्वीकारोक्ति ने अभियोजन पक्ष की कहानी पर गंभीर रूप से आघात पहुँचाया है कि पुलिस ने एक वाहन को एक निश्चित स्थान और समय पर रोका था और उसमें से कुछ मात्रा में प्रतिबंधित सामान बरामद किया गया था। तलाशी और प्रतिबंधित सामान की जब्ती को पवित्र बनाने के लिए, जब्ती अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह अपराध स्थल पर ही मेमो तैयार करे, वह भी उस स्थान के आस-पास स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में। वर्तमान में ऐसा मामला है जहाँ अपराध स्थल पर या उसके आस-पास कई व्यक्ति मौजूद थे, लेकिन एक भी स्वतंत्र गवाह ने बरामदगी मेमो के तथ्य की पुष्टि नहीं की है। वाहन और आरोपी को अपराध स्थल से पुलिस स्टेशन ले जाना और फिर पुलिस स्टेशन के नज़दीकी परिसर में अपनी सुविधानुसार मेमो तैयार करना तलाशी और जब्ती की पवित्रता को खो देता है। कानून की आवश्यकता है कि यदि किसी निश्चित समय पर किसी विशेष स्थान पर कोई वस्तु बरामद की जाती है तो गवाहों और आरोपी की उपस्थिति में उसी स्थान पर मेमो तैयार किया जाना चाहिए। हालाँकि, यह इस न्यायालय की प्रथम दृष्टया और अस्थायी राय है। जमानत आवेदन के न्यायोचित निपटान के संबंध में।

14. उपरोक्त परिस्थिति पर चर्चा करते हुए, इस न्यायालय ने एसबीसीआरएलएमबी संख्या **11544/2023** में कमलेश कुमार बनाम भारत संघ के मामले में दिनांक **30.10.2023** को निर्णय लिया है। प्रासंगिक भाग निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

5. दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार किया गया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया है। इस मामले में पुलिस टीम द्वारा निर्मित परिस्थितियाँ बरामदगी को संदेह के घेरे में लाती हैं। सी.आर.पी.सी. की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए जब्ती अधिकारी के बयान से पता चलता है कि जब्ती की प्रक्रिया बरामदगी के स्थान के बजाय अधीक्षक सी.बी.एन., नीमच के कार्यालय में की गई थी तथा इसकी पुष्टि पंचनामा जप्ती से भी होती है। उन्होंने कहा कि पुलिस थाने के परिसर में की गई जब्ती की पवित्रता अत्यधिक संदिग्ध है तथा टीम के सदस्यों द्वारा इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि तलाशी तथा जब्ती उस स्थान पर क्यों नहीं की गई जहाँ वाहन को रोका गया था। यह समझ से परे है कि वाहन को रोकने के स्थान से 20-25 किलोमीटर दूर स्थित स्थान पर जब्ती करने की क्या आवश्यकता थी; वह भी अधीक्षक सी.बी.एन., नीमच के कार्यालय परिसर में तथा इसके लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जब वास्तविक बरामदगी पहले ही हो चुकी थी और याचिकाकर्ता की दुकान और गोदाम पर तलाशी और जब्ती पहले ही की जा चुकी थी, तो उससे संबंधित ज्ञापन किसी अन्य स्थान (सीबीएन, नीमच) पर काफी समय बीत जाने के बाद क्यों तैयार किया गया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जब्ती/वसूली ज्ञापन को कागजी औपचारिकता के रूप में जब भी सुविधा हो तैयार किया जा सकता है, जबकि वास्तविक, भौतिक बरामदगी किसी अन्य स्थान पर की

गई थी, इस प्रकार, जब्ती/वसूली ज्ञापन की पवित्रता को कम किया जा रहा है।

15. जब्ती ज्ञापन की विश्वसनीयता तब कम हो जाती है जब कोई चीज दूर के स्थान पर बरामद की जाती है और पुलिस उसे अपराध स्थल से थाने ले जाती है और फिर थाने में ज्ञापन तैयार करवाती है। अगर इसकी अनुमति है तो हर मामले में क्यों न चीजों को अपराध स्थल से उठाया जाए और उसके बाद पूरी कार्यवाही थाने के परिसर में की जाए और फिर क्यों न हर मामले में आरोपी को किसी भी स्थान से हिरासत में लिया जाए और उसके बाद थाने में उसकी गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार किया जाए। इस न्यायालय का मानना है कि अगर कोई चीज या कोई आपत्तिजनक सामग्री किसी खास स्थान से और किसी खास समय पर एकत्र या बरामद की जाती है तो जब्ती ज्ञापन/वसूली ज्ञापन उसी स्थान पर और वह भी उसी इलाके के गवाहों की मौजूदगी में तैयार किया जाना चाहिए। अगर अपराध स्थल पर बरामदगी के तथ्य को सत्यापित करने के लिए कोई अन्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो थोड़ा विचलन या विचलन की अनुमति दी जा सकती है, तब पुलिस पार्टी के सदस्यों को बरामदगी के तथ्य का गवाह बनाया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में, जब भारी बारिश हो रही हो या राजमार्ग पर भारी यातायात हो या अन्य ऐसी स्थिति हो, तो उस स्थिति में भी, जब्ती ज्ञापन को किसी नजदीकी स्थान पर तैयार किया जा सकता है, ताकि कार्यवाही शांतिपूर्वक या सुरक्षित तरीके से की जा सके। हालांकि, किसी पुलिस अधिकारी के लिए यह अनुमति नहीं है कि वह किसी विशेष स्थान से प्रतिबंधित सामान उठाकर अपने साथ दूर स्थित पुलिस थाने में ले जाए और उसके बाद थाने के परिसर में जब्ती ज्ञापन तैयार करे। जिस समय इस तरह की प्रथा की अनुमति होगी, वह दिन दूर नहीं जब पुलिस अधिकारी यह दावा करेंगे कि यद्यपि ज्ञापन थाने में तैयार किया गया था, लेकिन सामान किसी अन्य स्थान से बरामद किया गया था। ऐसी स्थिति में, शुद्धता, मौलिकता, वास्तविकता और सद्गुणता नष्ट हो जाएगी और साथ ही, जब्ती के तथ्य की निष्पक्षता और वास्तविकता पर गंभीर संदेह होगा।

15. उपरोक्त टिप्पणियों से, इस न्यायालय की राय है कि वास्तविक स्थान से दूर स्थान पर जब्ती ज्ञापन तैयार करना कानून की भावना के अनुरूप नहीं था। इस न्यायालय का विचार है कि वास्तव में प्रतिवादी-विभाग द्वारा शिकायत गलत मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई है, इसलिए विद्वान न्यायाधीश, एनडीपीएस अधिनियम मामले, चित्तौड़गढ़ को शिकायत पर विचार करने, रिमांड और इसे जारी रखने का आदेश पारित करने या अपराध का संज्ञान लेने और मामले की सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं था। प्रतिवादी-विभाग के अधिकारियों को भविष्य में उपरोक्त बातों का ध्यान रखने के लिए चेतावनी देना और सावधान करना भी उचित समझा

जाता है ताकि उनकी खामियों और तकनीकी त्रुटियों के कारण नारकोटिक्स ड्रग्स की तस्करी में शामिल अपराधी इसका फायदा न उठा सकें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आज की तिथि तक प्रथम दृष्टया यह न्यायालय प्रतिवादी विभाग द्वारा आरोपी के घर जाकर तलाशी लेने, नियमों के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्रतिबंधित सामग्री जब्त करने तथा आरोपी को गिरफ्तार करने की कार्रवाई को वैध मानता है, इसलिए अधिकारियों द्वारा की गई प्रारंभिक कार्यवाही कानून के प्रावधानों तथा उनके पास मौजूद वैधानिक प्राधिकार के विरुद्ध नहीं है, तथापि, शिकायत को आगे की न्यायिक कार्रवाई के उद्देश्य से सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। इस मोड़ पर, विद्वान न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करना भी उचित समझा जाता है, जिन्होंने उपरोक्त उद्देश्य के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही करने की अनुमति दी।

16. न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर, रजिस्ट्रार न्यायिक ने विधि एवं विधिक मामले विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचनाओं की प्रतियां उपलब्ध कराईं, जिनमें एनडीपीएस मामलों के लिए क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार तथा विशेष न्यायाधीश न्यायालय की स्थापना दर्शाई गई है। अधिसूचनाओं की प्रामाणिकता तथा वास्तविकता पर कोई विवाद नहीं है। दिनांक 21.01.1997 (अनुलग्नक 1), 18.07.2013 (अनुलग्नक 2), 26.05.2021 (अनुलग्नक 3) और 16.05.2022 (अनुलग्नक 4) की अधिसूचनाओं को रिकॉर्ड में लिया गया है।

17. दिनांक 21.01.1997 (अनुलग्नक 1) की अधिसूचना के अनुसार, चित्तौड़गढ़ में एक विशेष न्यायालय (एनडीपीएस मामले) सहित अधिसूचना में उल्लिखित जिलों के लिए एनडीपीएस मामलों के लिए विशेष न्यायालय संख्या 1 की स्थापना

की गई है। तत्पर संदर्भ के लिए दिनांक 21.01.1997 (अनुलग्नक 1) की अधिसूचना को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: 2 / 10 / न्याय / 66

जयपुर, दिनांक :21-1-97

::अधिसूचना::

नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सबस्टेन्सेज एक्ट, 1985 की धारा 36 की उपधारा के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से निम्नलिखित जिला मुख्यालयों पर कॉलम संख्या में उल्लेखित जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारिता वाले विशेष न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है। इनका अधिकारिता क्षेत्र कॉलम संख्या 4 के अनुसार होगा। उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उक्त न्यायालयों के न्यायाधीशों को विशेष न्यायाधीश नियुक्त करती है:-

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	अधिकारिता क्षेत्र
1	विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस. प्रकरण) भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	सम्पूर्ण जिला
2	विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस. प्रकरण) हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	..
3.	विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस. प्रकरण) श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	..
4.	विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस. प्रकरण) जयपुर शहर	जयपुर शहर	..
5.	विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस. प्रकरण) झालावाड़	झालावाड़	..
6.	विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस. प्रकरण) चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	..

राज्यपाल के आदेश से,
एसडी

शासन सचिव

18. अधिसूचना दिनांक 18.07.2013 (अनुलग्नक 2) के अनुसार, राज्य सरकार राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्नलिखित जिला मुख्यालयों पर अधिसूचना में उल्लिखित जिला न्यायाधीश के स्तर के अधिकार क्षेत्र के साथ विशेष न्यायालयों की स्थापना करती है, जिसके तहत विशेष न्यायालय (एनडीपीएस मामले) संख्या 2 चित्तौड़गढ़ की स्थापना की गई है और विशेष न्यायाधीश की

नियुक्ति की गई है। त्वरित संदर्भ के लिए अधिसूचना दिनांक 18.07.2013 (अनुलग्नक 2) को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प 1 (2) न्याय /2023

जयपुर, दिनांक : 18 जुलाई 2013

: अधिसूचना:

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सुब्स्टेन्सेस एक्ट, 1985 की धारा 36 की उपधारा के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, निम्नलिखित जिला मुख्यालयों पर कॉलम संख्या 2 में उल्लेखित जिला न्यायाधीश स्टार के अधिकारिता वाले विशेष न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है। इनका आधिकारिक था क्षेत्र कॉलम संख्या 4 के अनुसार होगा उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप धारा (2) के अंतर्गत न्यायालयों के न्यायाधीशों को विशेष न्यायाधीश नियुक्त करती है:

क्र सं	न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	अधिकारिकता क्षेत्र
1.	विशेष न्यायालय (एन. डी पी एस प्रकरण) संख्या दो चित्तौरगढ़	चित्तौरगढ़	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा
2.	विशेष न्यायालय (एन. डी पी एस प्रकरण) कोटा	कोटा	सम्पूर्ण जिला

साथ ही पूर्व में कार्यरत विशेष न्यायालय शेष न्यायालय (एन. डी पी एस प्रकरण) चित्तौरगढ़ का नाम परिवर्तित कर विशेष न्यायालय एन. डी पी एस प्रकरण संख्या 1 चित्तौरगढ़ निर्धारित करती है।

राज्यपाल के आदेश से
सही /-
प्रकाश गुप्ता
प्रमुख शासन सचिव

19. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 26.05.2021 की अधिसूचना (अनुलग्नक 3) द्वारा जिला न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु अतिरिक्त जिला न्यायालयों की स्थापना कर उनके बैठने का स्थान निर्धारित किया गया तथा जिला

एवं सत्र न्यायाधीश, चित्तौड़गढ़ के स्थान पर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बेगू को कार्यभार सौंपा गया। त्वरित संदर्भ हेतु दिनांक 26.05.2021 की अधिसूचना (अनुलग्नक 3) को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

राजस्थान सरकार
कानून और विधिक कार्य विभाग
क्रमांक: प-1(1) न्याय/ 2021 जयपुर, दिनांक: 26-05-
2021

अधिसूचना

राजस्थान सिविल न्यायालय अधिनियम, 1950 (सन् 1950 का अधिनियम संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 10 की उपधारा (1) और धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से परिशिष्ट संख्या 2 में उल्लिखित जिला न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए परिशिष्ट संख्या 3 में उल्लिखित अतिरिक्त जिला न्यायालयों की स्थापना करती है और उनकी बैठक का स्थान परिशिष्ट संख्या 4 के अनुसार निर्धारित करती है:

क्रम संख्या	जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के न्यायालय का नाम	अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अजमेर	अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, नसीराबाद	नसीराबाद
2	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भीलवाड़ा	अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गुलाबपुरा	गुलाबपुरा
3	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भरतपुर	अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बैर	बैर
4	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बीकानेर	अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, डूंगरगढ़	डूंगरगढ़

क्रम संख्या	जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के न्यायालय का नाम	अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान
5	जिला एवं न्यायाधीश, बूंदी	सत्र अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, केशवरायपाटन	केशवरायपाटन
6	जिला एवं न्यायाधीश, प्रतापगढ़	सत्र अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
7	जिला एवं न्यायाधीश, चूरू	सत्र अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, राजगढ़	राजगढ़
8	जिला एवं न्यायाधीश, श्रीगंगानगर	सत्र अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सूरतगढ़	सूरतगढ़
9	जिला एवं न्यायाधीश, श्रीगंगानगर	सत्र अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रायसिंहनगर	रायसिंहनगर
10	जिला एवं न्यायाधीश, जालोर	सत्र अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जालोर	जालोर
11	जिला एवं न्यायाधीश, सिरोही	सत्र अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या 2, गांधीनगर सिटी	गांधीनगर सिटी
12	जिला एवं न्यायाधीश, सांचौर	सत्र अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या 2, नांदगांव	नांदगांव
13	जिला एवं न्यायाधीश, फतेहगढ़	सत्र अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, फतेहगढ़	फतेहगढ़

टिप्पणी: उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार, राजस्थान सिविल न्यायालय अधिनियम, 1950 की धारा 10(3) और 7(2) तथा दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जाएगा। साथ ही, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 9(3) के अंतर्गत, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इन अतिरिक्त सत्र न्यायालयों को न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी।

साथ ही वर्तमान में कार्यरत अतिरिक्त जिला न्यायालय, रायसिंहनगर (गंगानगर सिटी) और नांदगांव के नामों में संशोधन करते हुए, इन्हें अब अतिरिक्त जिला न्यायालय संख्या 1, रायसिंहनगर (गंगानगर सिटी) और अतिरिक्त जिला न्यायालय संख्या 1, नांदगांव नाम से जाना जाएगा।

राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार भारवानी

मुख्य शासन सचिव

20. संदर्भ अधिसूचना दिनांक 16.05.2022 के अनुसार: राज्य सरकार द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, दिनांक 04.02.1994 और 16.05.2016 को जारी की गई पूर्व अधिसूचनाओं की निरंतरता में, 17.04.2018 के बाद जिला मुख्यालयों पर स्थापित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालयों और भरतपुर जिले के नगर में स्थापित न्यायालय को छोड़कर, शेष सभी स्थानों पर स्थापित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालयों को "विशेष न्यायालय घोषित किया जाता है। इन न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विशेष अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई हेतु, इन न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। सुविधा हेतु, अधिसूचना दिनांक 16.05.2022 (परिशिष्ट 4) को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।

राजस्थान सरकार

कानून और विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प-2(1) न्याय/2022

जयपुर, दिनांक: 16-05-2022

अधिसूचना

"नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेन्स एक्ट, 1985" की धारा 36 की उपधारा (1) और (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, पूर्व में जारी अधिसूचनाओं दिनांक 04-02-1994 तथा 16-05-2016 की निरंतरता में, दिनांक 17-04-2018 के पश्चात जिला मुख्यालयों पर स्थापित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालयों को अधिनियम अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए सक्षम विशेष न्यायालय घोषित करती है। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेन्स एक्ट, 1985 के अंतर्गत शेष अन्य स्थानों पर स्थापित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालयों तथा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, नगर (भरतपुर) को, उक्त अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न मामलों के संबंध में उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्रों में विशेष न्यायालय घोषित किया जाता है। साथ ही, इन न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न मामलों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से

(प्रो. हरि भटनागर)

मुख्य शासन सचिव

21. इस न्यायालय का मानना है कि केवल इसलिए कि केंद्रीय एजेंसी की टीम को चित्तौड़गढ़ में आरोपी-याचिकाकर्ता से मंदसौर में प्रतिबंधित पदार्थ के कब्जे के बारे में सूचना मिली थी, चित्तौड़गढ़ न्यायालय को स्वतः ही मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं मिल जाता। अधिकारी द्वारा सूचना प्राप्त करना अपराध का हिस्सा नहीं है। विद्वान विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस अधिनियम मामले, चित्तौड़गढ़ ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किए गए अपराध से संबंधित एफआईआर/शिकायत प्राप्त करने की अनुमति देते समय गलती की। इसके अलावा, यह देखा गया है कि विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस अधिनियम मामले, चित्तौड़गढ़ द्वारा रिमांड को आगे बढ़ाया गया था, जिसके लिए उन्हें कानून के किसी भी प्रावधान द्वारा सशक्त नहीं किया गया था।

22. इस न्यायालय ने इस मामले पर समग्र दृष्टिकोण अपनाया है और उसकी राय है कि जब तक केंद्रीय एजेंसी या जांच एजेंसी ने मंदसौर, मध्य प्रदेश में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी नहीं की है, तब तक यह कानून की नजर में बुरा नहीं था, हालांकि गिरफ्तारी एक कानूनी कदम था, लेकिन इसके बाद जब रिपोर्ट विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस अधिनियम मामलों, चित्तौड़गढ़ को सौंपी गई, जिन्होंने बिना किसी क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के एफआईआर/शिकायत का संज्ञान लिया, आरोप तय किए, रिमांड बढ़ाया और मुकदमा भी शुरू किया, जो मेरे विचार से कानून की नजर में बुरा था क्योंकि यह अधिकार क्षेत्र के बाहर किया गया था। प्रतिवादी

विभाग के लिए सबसे अच्छा उपलब्ध तरीका यह होगा कि वह अपना बयान वापस ले ले। शिकायत की जांच कर उसे सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

23. यह न्यायालय इस तथ्य के प्रति सतर्क है कि इस न्यायालय द्वारा मप्र उच्च न्यायालय के अधीक्षण में मप्र के न्यायिक अधिकारी को कोई भी निर्देश देना उचित नहीं होगा, इसलिए यह उचित समझा जाता है कि अधिकारिता रखने वाले न्यायाधीश से अनुरोध किया जाए कि वे संज्ञान लें और मामले की सुनवाई करें; एजेंसी को शिकायत पर विचार करने की अनुमति दें और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ने दें; यदि एजेंसी उनके समक्ष शिकायत प्रस्तुत करती है।

24. यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि मामला इस न्यायालय के समक्ष केवल नियमित जमानत के लिए विचारार्थ आया था, लेकिन सुनवाई के दौरान ऊपर उल्लिखित गंभीर दोष पाए गए और इसलिए न्याय के हित में इसमें निहित असाधारण शक्तियों का प्रयोग करके कुछ निर्देश पारित करना उचित समझा जाता है। संवैधानिक न्यायालय के पास निहित शक्तियाँ हमेशा उपलब्ध रहती हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मामले की प्रकृति क्या है और रोस्टर ने उसे क्या सौंपा है। जिस दिन न्यायालयों की स्थापना हुई, उसी दिन निहित शक्तियाँ उसके पास थीं ताकि वह न्याय प्रदान करने के लिए आवश्यक आदेश पारित कर सके या कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए समीचीन हो।

24.1 धारा 482 सीआरपीसी का स्पष्ट प्रावधान केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास पहले से ही अंतर्निहित, जन्मजात और निहित शक्ति की प्रकृति को संरक्षित और मान्यता देता है। यह न्यायालय इस तथ्य को अनदेखा नहीं कर सकता कि एक मामले में एक गंभीर दोष उत्पन्न हुआ है जिसमें अभियोजन एजेंसी

और साथ ही अधीनस्थ न्यायालय दोनों ने परीक्षण के स्थान के संबंध में स्पष्ट वैधानिक प्रावधान का ध्यान रखने में विफल रहे हैं और इसलिए, यह पारित करना समीचीन समझा जाता है। न्याय के हित में आदेश ताकि नारकोटिक ड्रग्स रखने वाले अपराधी को प्रक्रियागत दोष का लाभ न मिले, बल्कि ऐसे गंभीर अपराध के आरोपी को बिना किसी छूट के न छोड़ा जाए। इसलिए, जमानत आवेदन पर निर्णय लिया जा रहा है और कानूनी प्रावधानों के अनुसार उचित सुनवाई के लिए निर्देश जारी करने के संबंध में निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है।

24.2. न्यायालयों का उद्देश्य न्याय और केवल न्याय प्रदान करना है और इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है। एक संवैधानिक न्यायालय होने के नाते, इस न्यायालय का कर्तव्य है कि वह नागरिकों के हितों की रक्षा करे, कानून के उल्लंघन की रक्षा करे और साथ ही ऐसे आरोपी के खिलाफ कानूनी अभियोजन के लिए उचित आदेश पारित करे जिसके खिलाफ रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है।

25. इस मामले को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित निर्देश पारित किए जाते हैं:-

- (क) प्रतिवादी अधिकारी विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस अधिनियम मामले, चित्तौड़गढ़ से अभियोजन वापस लेने के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (ख) ऐसा आवेदन प्रस्तुत करने पर, विद्वान विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस अधिनियम मामले, चित्तौड़गढ़ पूरे मामले की फाइल को रिकॉर्ड में लेने के बाद अभियोजन एजेंसी को सौंप देंगे।
- (ग) प्रतिवादी एजेंसी को बिना किसी अनावश्यक देरी के, अधिमानतः एक महीने के भीतर मामले की सुनवाई करने के अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय के समक्ष पूरी केस फाइल के साथ शिकायत प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(घ) प्रतिवादी एजेन्सी विधि की प्रक्रिया के अनुसार उपयुक्त फोरम के समक्ष याचिकाकर्ता के विरुद्ध मुकदमा चलाने में सक्षम होगी।

26. तदनुसार, धारा 439 सीआरपीसी के अन्तर्गत तत्काल तीसरी जमानत अर्जी स्वीकार की जाती है तथा यह आदेश दिया जाता है कि वाद शीर्षक में नामित अभियुक्त-याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि वह विद्वान विचारण न्यायाधीश की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये की राशि का व्यक्तिगत बांड तथा 25,000/- रुपये की दो जमानतें प्रस्तुत करे, ताकि जब भी उसे बुलाया जाए, वह सुनवाई की सभी तिथियों पर सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो।

(फरजंद अली), जे

अभिषेक कुमार

एस.सं. 2150

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी